as the House is no doubt aware, there have been three changes in the Steel Ministry. On a particular date, as to who was the Minister, there is nothing to hide. But, obviously, the hon. Minister cannot make a guess and unless he has checked up he cannot say who was the Minister on a particular date. We know three Ministers were there, and he is the third Minister.

Shri Surendranath Dwivedy : The Chairman of the Public Accounts Committee is present in the House. He can tell us who was the Minister.

Mr. Speaker: If the Chairman of the Public Accounts Committee can tell us, he may do so.

Shri Morarka (Jhunjhunu): Sir, so far as we are concerned, we have examined the accounts and on the basis of our examination we have given report. We did not enquire about the name of the Minister at any time. (*Interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order. I am asking the Minister to get the name and report to the House before the House rises.

13.32 hrs.

STATEMENT (UNDER DIRECTION 115) re. SEARCH OF SHRI HAVELI RAM'S HOUSE AND REPLY THERETO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हमेशा जब 115 के अन्दर मैं कोई मामला उठाता हूं तो मेरे ही बारे में ऐसा क्यों होता है कि जो नियमों में लिखा है .....

अध्यक्ष महोदय : यह आप को यों ही शिकायत रहती है, आप को इतने प्रिविलेजेज भी मिलते हैं फिर भी आपको शिकायत रहती है ।

श्री मधु लिमये : कहां इसमें प्रिविलेज का क्या सवाल है ? अब आप देखिये ...

अध्यक्ष महोदय : कितना बड़ा है आपका स्टेटमेंट ?

श्री मधु लिमये : छोटा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा तो पढ़ दीजिये साहब । अब यह इल्जाम मेरे पर लगाया जा रहा है ...

श्री मधु लिमये : आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है । दो दफा हुआ अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में जब विदेश मंत्री का एक बार मामला था और ... (व्यवधान) आपकी जो कार्य-प्रक्रिया है उसके अनुसार ही तो हम चलते हैं ।

लोक सभा

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि हवेली राम चमन लाल का मामला मुझे अध्यक्ष के निर्देश 115 के अन्दर फिर उठाना पड़ रहा है ।

24 मार्च को मैंने इस विषय पर आधे घंटे की बहस उठाई थी । बहस के उत्तर में वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी ने जो बातें कहीं उससे मामला और उलझ गया ।

24 फरवरी को मेरे तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री बलिराम भगत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ज्योतिषी श्री हवेली राम के घर पर छापा नहीं मारा गया था । आपके द्वारा फिर एक दफा पूछे जाने पर भी श्री भगत जी ने कहा था कि ज्योतिषी के घर पर छापा नहीं मारा गया था । इस सम्बन्ध में आपको श्री हवेली राम ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि न स्वयं वह कोई व्यापार-धन्धा करते हैं और न उनके लड़के । लेकिन मैंने आपके सामने सबूत देकर साबित किया कि श्री हवेली राम ज्योतिषी तथा उनके लड़कों की एक फर्म है जिसका नाम जोशी ट्रेडर्स है और इसके सम्बन्ध चमन लाल फर्म्स के साथ हैं । इन फर्मों पर विदेशी मुद्रा की चोरी तथा कर के अपवंचन को लेकर छापे मारे गये । टेलीफोन की किताब में जोशी ट्रेडर्स के नीचे श्री

[श्री मधु लिमये]

हवेली राम के घर का टेलीफोन नंबर भी दिया गया है और उनका पता दरियागंज दिल्ली दिया गया है ।

24 मार्च को आधे घंटे की जब बहस हुई तब श्री शचीन्द्र चौधरी ने न केवल चमनलाल फर्म के सम्बन्ध में किये आरोपों की पुष्टि की बल्कि यह भी कहा कि दरियागंज के पते पर जो कि श्री हवेली राम के घर का पता है छापा मारा गया था । अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन सही है, वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी जो कहते हैं कि हवेली राम के दरियागंज के पते पर छापा मारा गया था या वित्त राज्य मंत्री श्री भगत जो कहते हैं कि नहीं मारा गया ? दोनों हर हालत में सही नहीं हो सकते । दोनों में से एक ने जरूर असत्य भाषण किया है ।

दूसरी बात 24 मार्च को चमनलाल फर्म के द्वारा विदेशी मुद्रा की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, इस तथ्य को श्री शचीन्द्र चौधरी ने कबूल किया था और कहा था कि यह आंकड़ा लगभग 75 लाख रुपये है । उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच चल रही है लेकिन यह समझौता हुआ कि चमन लाल रिजर्व बैंक को यानी सरकार को तुरत 40 लाख रुपये विदेशी मुद्रा में दे दें बाकी विदेशी मुद्रा का फैसला बाद में होगा । उनके शब्द निम्न प्रकार हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, एक ही जुमला पढ़ता हूं :

> "These Rs. 40 lakhs have been got back but Rs. 35 lakhs have not come back yet."

जानकार सूत्रों से मुझे पता चला है कि जिस समय वित्त मंत्री ने यह निवेदन किया उस समय तक यानी 24 मार्च तक यह 40 लाख की विदेशी मुद्रा सरकार को प्राप्त नहीं हुई थी । यदि यह बात सही है तो यह बहुत गंभीर चीज है और उसका खुलासा वित्त मंत्री को करना चाहिये । मैंने गृह-मंत्री के द्वारा हवेली राम के कहने पर चमनलाल फर्म के हक में हस्तक्षेप किये जाने का जिक्र किया था । यदि 24 मार्च तक यह 40 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा सचमुच प्राप्त नहीं हुई है तो मेरे आरोपों की पुष्टि होती है । कर की चोरी करने वाले किसी व्यक्ति के सिर्फ आश्वासन पर अगर वित्त मंत्री यह कहने लगेंगे कि रकम मिल चुकी है, तो बड़ा अनर्थ होगा । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इसकी सफाई करेंगे और सदन को अभिवचन देंगे कि विदेशी मुद्रा की और करों की चोरी करने वाले जो लोग हैं, चाहे वे कितने ही असरदार क्यों न हों, उनके खिलाफ सख्ती से काम लिया जायेगा ।

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): In the course of the half-an-hour discussion on 24th March, 1966, relating to alleged raid on the house of an astrologer, I stated that a search was made in some premises in Daryaganj. It has been alleged that my statement is in contradiction to what the Minister of State told the Lok Sabha during question hour on 24th February, 1966 *viz*—that the residence of Shri Haveli Ram was not searched. My statement does not in any way lead to the conclusion that the residential premises of Shri Haveli Ram (at No. 3 Daryaganj, Delhi-6) were searched. What was searched was the business premises of Messrs. Joshi Traders, their address being 32, Netaji Subhas Marg, Delhi-6. It is the locality which is indicated—Daryaganj locality.

2. The address of Messrs. Joshi Traders appears on page 368 of the telephone directory (February, 1966) as No. 32, Netaji Subhas Marg. Although below this entry the residential telephone numbers of Sarvashri H. R. Joshi, Kewal Joshi and Jugal Joshi have also been indicated, it does not follow that they reside at the same address, *viz.*, No. 32, Netaji

Subhas Marg. In fact, a reference to page 297 of the same directory shows that Shri Haveli Ram Joshi's residence, which has the same telephone number, is at No. 3, Daryaganj Delhi-6.

3. There is, therefore, no contradiction between the statement made by the Minister of State on 24th February, 1966 and that made by me on the floor of the House on 24th March, 1966.

4. In the course of the discussion on 24th March, 1966, I related the circumstances in which certain raids had been organised on the office premises of Messrs. Chaman Lal Bros., and their associates. In outlining the alleged irregularities which led to these raids, I referred to certain exports made by Messrs. Chaman Lal Bros., for which payment by the British Company, Messrs. Ironside, had remained outstanding. I mentioned in this connection that a sum of Rs. 40 lakhs "have been got back". As indicated in my answer, this amount was covered by an arrangement. This was an arrangement arrived at with the U.K. company and approved by the Reserve Bank of India under which the U.K. Company undertook to pay up the full amount of Rs. 40 lakhs in instalments by June, 1966. In fact, two instalments amounting to 55,000 have been paid. Messrs. Chaman Lal Bros., were also covered by a guarantee given by the Export Credit Guarantee Corporation for this amount. I have been now informed that after payment of the first two instalments, the British company defaulted on the subsequent amounts due from them. The last amount on which they have defaulted was in June. In view of this default, steps are being taken by the Dena Bank with whom the Bills were discounted by Messrs. Chaman Lal Bros., for recovery through process of law the sums due from the British company. The enforcement Branch is also considering steps that may be taken against Chaman Lal & Co.

श्री मधु लिमये : मेरे बयान का जो एक हिस्सा है, उसका उत्तर नहीं आया । समय बचाने के लिए वह पूरा मैंने नहीं पढ़ा था . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कहा था कि न पढ़ें ?

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय इन्होंने कहा था कि 40 लाख रुपये मिल चुके हैं, क्यों मंत्री महोदय, यह आपने कहा था या नहीं ? और अब आप कहते हैं कि उसका एक हिस्सा मिल तो आपने सदन को क्यों गुमराह किया ? क्यों झूठ बोले ?

Shri Sachindra Chaudhuri: May I suggest, Sir, that whatever suggestion is made is addressed to you.... *(Interruption)*. It is not parliamentary practice that one Member should accuse another. I will ask this to be expunged.

श्री मधु लिमये : असत्य कहता हूं, झूठ शब्द वापिस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय झूठ का लफ्ज़ वापिस ले लिया है ।

श्री मधु लिमये : लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्या आया ? उन्होंने कहा था या नहीं कि 40 लाख रुपया मिल चुका है ?

अध्यक्ष महोदय : 115 डाइरेक्शन के मुताबिक आप का स्टेटमेंट आ गया और उस के जवाब में फाइनैंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया है इसलिए अब बात खत्म हो जाती है ।

श्री मधु लिमये : मिनिस्टर महोदय ने असत्य बात बतलायी थी । यह भी स्पष्ट हो गया ।

———